जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत दिनांक 06.05.2023 को जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा की अध्यक्षता में जनपद–गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी–मेस.र्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) जनपद गोण्डा द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए फेज़–2 में जनपद–गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी–मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 26 ग्राम पंचायतों के 25 नग प्राक्कलन जिसमें 35 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं फेज़–5 में मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 18 ग्राम पंचायतों के 15 नग प्राक्कलन जिसमें 29 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को परीक्षण एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा की बैठक दिनांक 06.05.2023 को कलेक्ट्रेट सभागार, गोण्डा में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
2. प्रभागीय वन अधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–प्रथम, गोण्डा।
10. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, गोण्डा।
11. अध्यक्ष द्वारा नामित जल प्रबन्धन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, गोण्डा।
13. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा।
14. परियोजना प्रबन्धक मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ गोण्डा।
15. जनपदीय टीम लीडर, मे सेन्सिस टेक लि. (टी.पी.आई.)।

1–फर्म एल0 एण्ड टी0 एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के स्वीकृति हेतु :–

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि, जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा 25 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन उपलब्ध कराये गये जिसमें 19 पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन की अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत न्यूनतम करने हेतु विद्युत आधारित प्राक्कलन सम्मिलित हैं। जिससे 26 ग्राम पंचायतें/35 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ द्वारा 15 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन, जिसमें 06 पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन की अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत न्यूनतम करने हेतु विद्युत आधारित प्राक्कलन सम्मिलित हैं। जिससे 18 ग्राम पंचायतें/29 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। पेयजल योजना के प्राक्कलनों के स्वीकृति/संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या 36/2021/1599/ छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 के क्रम में फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के द्वारा तैयार किये गये 25 नग प्राक्कलनों में 25 नग प्राक्कलनों की लागत 5 करोड़ से कम जिसमें 13 नग प्राक्कलनों की अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागतरू0 6000 से कम एवं 12 नग प्राक्कलनों की अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से अधिक हैं। इसी प्रकार फर्म मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) द्वारा तैयार किये गये 15 नग प्राक्कलनों में 14 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम जिसमें 02 नग प्राक्कलन की अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से अधिक हैं तथा 12 नग प्राक्कलन कीअभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम हैं एवं 01 नग प्राक्कलन रू0 5 करोड़ से

E:\Data-2023\Meeting\Karyvritt.docx

अधिक जिसकी अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम के कुल 26 नग प्राक्कलनों के अनुमोदन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रसारित किये जाने हेतु बैठक में विचार विमर्श किया गया।

प्रस्तुत प्राक्कलनों में अभिकल्पिक वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000–7000 तक के 02 नग प्राक्कलन मेसर्स के0एल0एस0आर0 एवं रू 6000 से 10000 सीमा तक 12 नग प्राक्कलन मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के कुल 14 नग प्राक्कलनों के अभिकल्पित वर्ष की लागत में वृद्धि का स्पष्टीकरण अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पत्रांक 1075/यो0–50/438 दिनांक 08.05.2023 एवं पत्रांक 1076/यो0–50/439 दिनांक 08.05.2023 तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (वि./यॉ.) के पत्रांक 169/जे0जे0एम0 गोण्डा/10 दिनांक 03.03.2023 द्वारा नलकूपों की लागत अधिक होने का विस्तृत स्पष्टीकरण के आधार पर समस्त 14 नग प्राक्कलनों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित करने पर विचार विमर्श किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये 25 नग प्राक्कलनों एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) द्वारा उपलब्ध कराये गये 15 नग प्राक्कलनों का तकनीकी परीक्षण नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ.प्र. शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। तकनीकी परीक्षण में प्राक्कलन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का अनुपालन में फर्मो से कराते हुए समस्त प्राप्त प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी।

सदस्य सचिव द्वारा निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कराया गया :–

क्रम सं0	शासनादेश के अनुसार निर्देश	उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की स्थिति
1	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के आंकलन के अनुसार योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रू. 6000.00 से कम होने की स्थिति सामान्यतः स्वीकार्य होनी चाहिए।	प्राप्त 40 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रूपये 6000.00 से कम है जिसकी स्वीकृति हेतु शासनादेश सं0 51/2021/1883/छिहत्तर – 1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये निर्देश के क्रम में स्थलीय निरीक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत की कम जनसंख्या, अभिकल्पित 2052 की कम जनसंख्या, बिखरी हुई बसावट के फलस्वरुप वितरण प्रणाली की अधिक लम्बाई, स्वीकृत एस0ओ0आर0 मुख्यतः कारण है। (संलग्नक–1)
2	पम्पिंग प्लान्ट की डिजाइन में हेड अधिकतम 50 मीटर होना चाहिये। विशेष परिस्थितियों मे 50 मीटर से अधिक होने पर इसका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक द्वारा करते हुए प्रतिवेदन में अंकित किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में हेड 50 मी0 से कम है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
3	सोलर पी.वी. माड्यूल की क्षमता (किलोवाट), पम्प की क्षमता (हार्स पावर) से अधिकतम 1.4 गुना होनी चाहिए।	समस्त प्राक्कलनों में सोलर पम्प की क्षमता 1.4 गुना है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
4	रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।	समस्त प्राक्कलनों में रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत तक है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
5	योजना की डिजाइन, जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की जायेगी, परन्तु आधार वर्ष से अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी ।	समस्त प्राक्कलनों में योजना की डिजाइन, जनसंख्या अधिकतम 60 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।

E:\Data-2023\Meeting\Ranu\8.docx

6	प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच होनी चाहिए ।	समस्त प्राक्कलनों में प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
7	वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग नही देय होगी ।	समस्त प्राक्कलनों में वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग का प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
8	जलकल परिसर में मिट्टी भराई अनुमन्य नही होगी। जलकल परिसर के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने एवं मिट्टी भराव अपरिहार्य होने की स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की जाये एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन दवारा स्पष्ट संस्तुति करते हुए डी.पी.आर. प्रस्तुत किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जलकल परिसर में मिट्टी भराई का प्राविधान नहीं किया गया है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
9	कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी. आर. में प्राविधान किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
10	स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान अनुमन्य नहीं होगा।	समस्त प्राक्कलनों में स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान नही किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
11	योजनाओं का विरचन यथासम्भव ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया जाये। विशेष परिस्थितियां जैसे–भूमि की उपलब्धता न होना एवं उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा में भूजल का उपलब्ध न होना अथवा प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की स्थिति में बहुल पंचायत योजना का भी विरचन किया जा सकता है। यथासंभव ग्रामों का चयन क्लस्टर में किया जाए ताकि कार्य की प्रति व्यक्ति लागत न्यूनतम रह सके।	समस्त प्राक्कलनों में योजनाओं का विरचन ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया है उक्त के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की दशा में 04 बहुल ग्राम पंचायत योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
12	योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–16 / 2021 / 978 / छिहत्तर–1–2021–25सम / 2019 दिनांक19.03.2021 तथा शासनादेश संख्या–36 / 2021 / 1599 / छिहत्तर–1–2021–25सम / 2019 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा रू 5.00 करोड की लागत तक की योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इस सीमा तक योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश जल निगम के सक्षम स्तर द्वारा प्रदान की जायेगी ।	समस्त प्राक्कलनों में शासनादेश के अनुसार तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही की गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
13	परियोजना की कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं मे) की लागत शामिल है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
14	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना के संचालन एवं रखरखाव में समय–समय पर आवश्यक डी0जी0 सेट का फर्म द्वारा योजना के कार्य लागत में प्राविधान किया गया है जिसे योजना की कार्य लागत में सम्मिलित करने हेतु उपरोक्त शासनादेश अथवा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के किसी पत्र में उल्लेख नहीं है। सदस्य सचिव द्वारा पत्र सं0 4327/यो0–50/783 दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से मार्गदर्शन मांगा गया था। जो वर्तमान तक अप्राप्त है। अतः डी0जी0 सेट की लागत को योजना के कार्य लागत में सम्मिलित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किया जाना सम्भव नही है। भविष्य में उक्त हेतु शासन/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आयोजित बैठक में अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम के 26 नग पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलनों पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समस्त सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में जनपद स्तर से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित करने की सहमति इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की ग्राम पंचायत स्तर से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि, सम्मिलित ग्राम पंचायतों के समस्त मजरे प्राक्कलन में सम्मिलित हैं एवं प्राक्कलन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। चूंकि योजनाओं के प्राक्कलन फर्म द्वारा तैयार किये जा रहे है अतः कार्य के समय प्राक्कलन मे विचलन हेतु फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम मैं प्राक्कलनों की प्रति अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से शासन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000–10000 तक के 14 नग पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलनों पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समस्त सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (सिविल) के पत्रांक 1075/यो0–50/438 दिनांक 08.05.2023 एवं पत्रांक 1076/यो0–50/439 दिनांक 08.05.2023 तथा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (वि./यॉ.) के पत्रांक 169/जे0जे0एम0 गोण्डा/10 दिनांक 03.03.2023 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर जनपद स्तर से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशनको अनुमोदन हेतु अग्रसारितकरने की सहमति इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की ग्राम पंचायत स्तर से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि, सम्मिलित ग्राम पंचायतों के समस्त मजरे प्राक्कलन मे सम्मिलित हैं एवं प्राक्कलन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। चूंकि योजनाओं के प्राक्कलन फर्म द्वारा तैयार किये जा रहे है अतः कार्य के समय प्राक्कलन मे विचलन हेतु फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राक्कलनों की प्रति अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से शासन को अनुमोदन हेतु अग्रसारित की जाती है।

1–मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के कार्यों की स्थिति :–

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद गोण्डा में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा जनपद हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो,को 1261 ग्रामों/846 ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु आवंटित की गयी हैं। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 846 ग्राम पंचायतों के 782 नग प्राक्कलन जिसमें 1261 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए खण्ड कार्यालय जल निगम में प्रस्तुत किये गये। जिसमें से 1226 राजस्व ग्रामों के 757 प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जा चुका है। SLSSCसे स्वीकृत 757 परियोजनाओं मे से 330 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसमें फर्म द्वारा 157 परियोजनाओं पर बाउण्ड्रीवाल, 132 पम्प हाउस, 129 पर शिरोपरि जलाशय, 229 नलकूप एवं 75 परियोजनाओं पर सोलर का अधिष्ठापन कार्य किया जा रहा है। फर्म द्वारा प्रतिदिन लगभग 670 नग एफ0एच0टी0सी0 का कार्य किया जा रहा है। वितरण प्रणाली बिछाते समय खोदी गयी सड़कों के पुनर्स्थापन हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी पुनर्स्थापन का कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं किया जा रहा है के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को कार्य की प्रगति बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार करने हेतु निदेशित किया गया है तथा फर्म के कार्य की प्रगति धीमी होने के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

2–के0एल0एस0आर0–रेज (JV) के कार्यों की स्थिति :–

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद गोण्डा में फेज–5 के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा जनपद हेतु सूचीबद्ध फर्म के0एल0एस0आर0–रेज (JV) को 298 ग्रामों/186 ग्राम पंचायतों को पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु आवंटित की गयी हैं। जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 186 ग्राम पंचायतों के 142 नग प्राक्कलन जिसमें 298 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए खण्ड कार्यालय जल निगम में प्रस्तुत किये गये। जिसमें से 269 राजस्व ग्रामों के 127 नग प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जा चुका है। SLSSCसे स्वीकृत 127 परियोजनाओं मे से 06 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसमें फर्म द्वारा मात्र 03 परियोजनाओं पर नलकूप का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निदेशित किया गया है तथा फर्म के कार्य की प्रगति धीमी होने के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/ के0एल0एस0आर0–रेज (JV)।

3–टी0पी0आई0 के कार्यों की स्थिति :–

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा द्वारा थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी मेसर्स सेन्सियस टेक लिमिटेड द्वारा विगत सप्ताह किये गये निरीक्षणो से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। जिसमें संस्था के डी0टी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि टी0पी0आई0 टीमें द्वारा योजनाओं का निरन्तर निरीक्षण किया जा रहा है निरीक्षण के दौरान पाई जा रही कमियों को फर्म से निराकरण कराया जा रहा है एवं दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या फर्म से प्राप्त कर उक्त का पुनः सत्यापन किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा टी0पी0आई0 एवं अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम को फर्म से गुणवत्ता पूर्वक एवं मानक के अनुसार कार्य कराये जाने के साथ–साथ कार्यों के भुगतान से पूर्व निरीक्षण कर इंगित कमियों के निराकरण कराने एवं अधिशासी अभियन्ता को अधीनस्थ सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इन्जीनियर जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं पर नियमित निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम/मेसर्स सेन्सियस टेक लिमिटेड।

4–.आई0एस0ए0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरुकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यो के लिए नामित समस्त 06 इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सीयों के वर्तमान तक किये गये कार्यों एवं शेष की जाने वाली कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय, को अवगत कराया। जिस पर जिलाधिकारी महोदय, द्वारा समस्त इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सीयों के संस्था प्रमुख को शासन द्वारा निर्धारित आर0एफ0पी0 अनुसार किये गये कार्यों की समीक्षा की गयी एवं कार्यों की प्रगति बढ़ाने एवं गुणवत्ता पूर्वक शासन द्वारा निर्धारित आर0एफ0पी0 के अनुसार कार्य कराने हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम/समस्त इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सी।

बैठक के अन्त मे जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा– आई0एस0ए0, टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन/प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश दिये एवं जनपद की सूचीबद्ध फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं M/s KLSR-RAYS(JV) द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की निर्धारित लक्ष्य को समयानुसार पूर्ण करने हेतु आवश्यक रिंग मशीन, कम्प्रेसर, ओ.पी.यूनिट एवं मैनपावर, बढ़ाते हुए कार्य को युद्धस्तर पर कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(गणेश प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव

\Data-2023\Meeting\Karyvrit.docx

जिला विकास अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
प्रभागीय वन अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल गोण्डा।	सदस्य	
जिला कृषि अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अध्यक्ष द्वारा नामित इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति– जल प्रबन्धन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास।	सदस्य	
मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा।	उपाध्यक्ष	
जिलाधिकारी गोण्डा।	अध्यक्ष	

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा।

पत्रांक : 1074 /ग्रा0-50 /437 दिनांक–08-05-2023

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्यपेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
5. मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई
6. मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज (JV) जनपद गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव

E:\Data 2023\Meeting\Baryo...docx

E-Mail id: - ee_cd_gonda@yahoo.in

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),गोण्डा

पी.ए.सी. गेट नं0–4, गोण्डा

पत्रांकः 1076 /ग्रा0-50 /439 दिनांकः 08/05/2023

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
गोण्डा।

विषयः **जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन में अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत में अनुमन्य सीमा से अधिक वृद्धि के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में फेज़–2 के अन्तर्गत फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा उपलब्ध काराये गये 26 ग्राम पंचायतों के 25 नग प्राक्कलन जिसमें 35 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों में 12 नग प्राक्कलनों के अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से 10000 के मध्य है। उक्त प्राक्कलनों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत को कम करने हेतु खण्ड के जूनियर इन्जीनियर/सहायक अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं की वितरण प्रणाली, राजस्व गाँवों में सम्मिलित मजरों की गलियों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान राजस्व ग्रामों के मजरों में परिवारों की संख्या कम होने, मजरों की बसावट दूर–दूर होने के कारण वितरण प्रणाली के व्यास एवं लम्बाई में वृद्धि होने के फलस्वरूप अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत में वृद्धि हो रही है। जिसे कम करने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, के निर्देशानुसार वितरण प्रणाली में आने वाली बी0ओ0ई0, इण्टरलॉकिंग एवं सी0सी0रोड की सतह की कटिंग, पाइप लाइन ट्रेंच की चौड़ाई न्यूनतम (30 सेमी0+प्रस्तावित लाइन का व्यास) करते हुए तथा आवश्यकतानुसार ग्रामों को आपस में सम्मिलित कर प्राक्कलन विरचित किया गया है, परन्तु उक्त योजनाओं के प्राक्कलन में उपरोक्तानुसार कार्यों को सम्मिलित करने के पश्चात भी अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत कम नहीं हो पा रही है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क.सं.	योजना का नाम	सम्मिलित ग्राम	कुल बस्तियों	अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत
1	2	3	4	5
1	बनगॉव	2	4	6636.00
2	बैदउली	1	4	7408.00
3	मोहम्मदपुर गरवार	1	5	9807.00
4	पूरे खेमकरन	2	2	8919.00
5	देवरिया चूरामणि	2	2	6790.00
6	बनराही	2	2	9968.00
7	छजवा	1	8	7613.00
8	माधवपुर	1	2	9807.00
9	तुरकौली	1	3	8800.00
10	चन्दापुर कटौली	1	7	8335.00
11	परेटा	1	2	9905.00
12	उतरौला	2	3	9997.00

अतः उक्त ग्राम पंचायतों के प्राक्कलनों की अभिकल्पित वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से 10000 के मध्य है, की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा

एवं मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर से प्राप्त होने के उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय

(गणेश प्रसाद)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक / /2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार, मल्टी परपज़ हॉल, गोमतीनगर लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्याल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
6. मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, चौरी चौराहा, करनैलगंज, गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता

	Block	Phase 2 / Phase 3 / Phase 5	Type of Scheme (New Scheme / Reorganizat	Name of Scheme	Total No. of GP	Name of GP	Total No. of Rev. Vill.	Name of Rev. Village	Total No. of Habitation	No. of FHTC	Base Yr. 2022/23
	4	5	6	9	10	11	12	13	14	16	17
T	BABHANJOT	Phase 2	New Scheme	BANGAWAN Water Supply Scheme	1	BANGAWAN	2	BANGAWAN,TILK	4	282	2140
&T	Babhanjot	Phase 2	New Scheme	Bhanpur Water Supply Scheme	1	Bhanpur	1	BHANPUR	3	486	3699
&T	Babhanjot	Phase 2	New Scheme	Hathia Gardh Water Supply Scheme	1	Hathia Gardh	1	Hathia Gardh	2	936	6551
&T	Babhanjot	Phase 2	New Scheme	Muharakpur Grint_Rehar Tapski W	2	Mubarakpur	4	Rehar Tapski,Mai	15	619	4654
L&T	Chhapia	Phase 2	New Scheme	Baidauli Water Supply Scheme	1	Baidauli	1	Baidauli	4	270	1356
L&T	Chhapia	Phase 2	New Scheme	Maharaj Ganj Water Supply Scheme	1	Maharaj Ganj	1	Maharaj Ganj	27	603	4745
L&T	Colonelganj	Phase 2	New Scheme	Mohammadpur Garawar Water Sup	1	Mohammadpur	1	Mohammadpur G	5	205	1109
L&T	COLONELGANJ	Phase 2	New Scheme	PURE KHEMKARAN Water Supply S	1	PURE KHEMKARAN	2	Pure Khemkaran	2	107	1192
L&T	Haldharamau	Phase 2	New Scheme	Ramparha Water Supply Scheme	1	Ramparha	1	Ramparha	8	395	2700
L&T	JHANJHARI	Phase 2	New Scheme	Bargawan Water Supply Scheme	1	Bargawan	1	Bargawan	6	321	2150
L&T	Jhanjhari	Phase 2	New Scheme	Bura Devar Water Supply Scheme	1	Bura Devar	1	Bura Devar	7	632	4051
L&T	Jhanjhari	Phase 2	New Scheme	Devria Churamathi Water Supply Sc	1	Devria Churamathi	2	Devaria Churamat	2	233	1350
&T	Katra Bazar	Phase 2	New Scheme	MAHADEV Water Supply Scheme	1	MAHADEV	1	MAHADEV	2	391	2600
&T	Katra Bazar	Phase 2	New Scheme	Ramapur Water Supply Scheme	1	Ramapur	1	Ramapur	19	1038	6852
&T	Mankapur	Phase 2	New Scheme	BANRAHI Water Supply Scheme	1	BANRAHI	2	Lalpur, Banrahi	2	245	1029
&T	Mankapur	Phase 2	New Scheme	BHAR PURVA Water Supply Scheme	1	BHAR PURVA	5	Gyanipur Bhari N.	18	405	2879
&T	Mujehana	Phase 2	New Scheme	Baijpur Water Supply Scheme	1	Baijpur	1	Baijpur	7	460	2962
&T	Mujehana	Phase 2	New Scheme	Rajapur Water Supply Scheme	1	Rajapur	1	Rajapur	27	971	6424
&T	Mujhena	Phase 2	New Scheme	Chhajwa Water Supply Scheme	1	Chhajwa	1	Chhajwa	8	352	1700
T	Nawabganj	Phase 2	New Scheme	Madhwapur Water Supply Scheme	1	Madhwapur	1	Madhwapur	2	340	1367
T	Nawabganj	Phase 2	New Scheme	Turkouli Water Supply Scheme	1	Turkouli	1	Turkouli	3	127	2214
T	Paraspur	Phase 2	New Scheme	Chandapur Kitauli Water Supply Sch	1	Chandapur Kitauli	1	Chandapur Kitauli	7	239	1462
T	PARASPUR	Phase 2	New Scheme	PARETA Water Supply Scheme	1	PARETA	1	PARETA	2	309	1239
T	PARASPUR	Phase 2	New Scheme	UTRAULA Water Supply Scheme	1	UTRAULA	2	Utraula, Hardi Tal	3	289	1350
T	Wazirganj	Phase 2	New Scheme	Durjanpur Ghat Water Supply Schem	1	Durjanpur Ghat	1	Durjanpur Ghat	7	423	2650